रजिस्ट्री सं० डी- (डीएन)--128/89 REGISTERED No. D--(DN) -128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1989 (श्रावण 28, 1911)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1989 (SRAVANA 28, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां, नियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	615
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	839
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1203
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विभेद तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	795
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	969
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनसें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	941
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	197
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निभाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	615
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	839
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1203
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	695
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	769
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	741
PART IV—Advertisements and Notices Issued by Private Individuals and Private Bodies	107
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० शाखा)

नई दिल्ली, 110001, दिनांक 18 जुलाई 1989

सं० 4/1-पी यू०/89—श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सदस्यता से तात्कालिक प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है।

आर० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली दिनांक 17 जुलाई 1989

सं० ई० 11017/18/89-प्रशा०-9—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य (स्टाफ एवं प्रशिक्षण) की अध्यक्षता में दिनांक 14 जनवरी, 1988 को प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया कि प्रत्यक्ष कर संबंधी विषयों पर हिन्दी में मूल लेखन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अन्तर्गत एक "प्रत्यक्ष कर साहित्य पुरस्कार योजना" चलाई जाए।

2. योजना का उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विषयों पर हिन्दी में मानक मूल लेखन को बढ़ावा देना है।

3. पात्रता

इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है चाहे वह सरकारी सेवा में हो या गैर-सरकारी सेवा में या किसी भी अन्य व्यवसाय में लगा हो।

4. विषय :

इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष निम्नलिखित विषयों पर मूलतः हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जायेंगे :—

क. आयकर

ख. धनकर

ग. दामलर

घ. कम्पनी लाभ अधिकर

5. पुरस्कार :

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :—

प्रथम पुरस्कार—2	10,000/-रु० प्रत्येक
द्वितीय पुरस्कार—2	7,500/-रु० प्रत्येक
तृतीय पुरस्कार—2	5,000/-रु० प्रत्येक

पुरस्कार के लिए जो पुस्तकें चुनी जाएंगी, प्रकाशित होने पर उसकी 2,000 प्रतियां विभाग स्वयं खरीदेगा, जो विभाग के अधिकारियों और पुस्तकालयों के उपयोग के लिए होंगी :

6. योजना का आरम्भ और अवधि :

यह योजना वित्तीय वर्ष 1988-89 से शुरू की जाएगी जिसके पुरस्कार वर्ष 1989-90 में दिये जायेंगे। इसके लिए प्रविष्टियां मंगाने तथा उससे संबंधित शर्तों की सूचना बाद में प्रचारित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष को ही पुरस्कार वर्ष माना जाएगा और जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रविष्टियां मंगाई जाएंगी उससे संबंधित पुरस्कार आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जायेंगे, जिसकी सूचना यथा समय दी जाएगी।

7. पुरस्कारों का दावा :

ये पुरस्कार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

8. पुस्तकों का मूल्यांकन :

(1) इस योजना के अन्तर्गत विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति करेगी जिसका गठन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(2) मूल्यांकन समिति प्राप्त पुस्तकों का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करेगी तथा अपनी सिफारिशें समिति के सचिव को मूल्यांकन पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की नयी प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगी।

(3) जिन पुस्तकों के लिए किसी भी पुरस्कार की सिफारिश नहीं की गई हो, उन पुस्तकों के बारे में मूल्यांकन समिति, यह समाधान हो जाने पर कि हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए सराहनीय प्रयास किया गया है, पुस्तक के लेखक को टंकण/प्रकाशन की आंशिक लागत के लिए, प्रति पुस्तक 500/-रु० की राशि तक के भुगतान की सिफारिश कर सकेगी।

(4) मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें पुरस्कार समिति के समक्ष रखी जायेंगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. सदस्य ((स्टाफ एवं प्रशिक्षण) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सदस्य
3. सदस्य (विधि एवं) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सदस्य
4. आयकर महानिदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5. उप सचिव (प्रशा०-9) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सदस्य
6. आयकर निदेशक (अन्वेषण, सं० व प्र०) नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

(5) यह पुरस्कार समिति मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कार मंजूर करने के लिए पुस्तकों की उपयुक्तता के संबंध में विचार करेगी।

9. योजना के प्रयोजन के लिए मूल पुस्तक की परिभाषा :

इस योजना के अन्तर्गत मूल पुस्तक से अभिप्राय उस पुस्तक से है:—

(क) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूलतः हिन्दी में लिखी गई हो

(ख) जो स्वयं प्रतियोगी/लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उसके द्वारा हिन्दी में किया गया अनुवाद हो।

10. प्रविष्टियां :

(1) पुरस्कार के लिए विचारार्थ पुस्तकें मुद्रित या टंकित किसी भी रूप में स्वीकार की जाएंगी । प्रतियोगी/लेखक को निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि योजना के अन्तर्गत भेजी गई पुस्तकें ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार मूल पुस्तक हैं ।

(2) यदि कापी राइट का प्रश्न है तो लेखक को कापी राइट धारक की अनुज्ञा की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी ।

(3) प्रतियोगी को पुस्तक की 8 मुद्रित या टंकित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ भेजनी होंगी । प्रविष्टियां तथा आवेदन विधिवत भरकर आयकर निदेशक (मं० सां० व प्र०) छठा तल, मयूर भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली (सचिव) प्रत्यक्ष कर साहित्य पुरस्कार समिति को भेजनी होंगी ।

(4) कोई भी प्रतियोगी जिस वर्ष योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा उस वर्ष वह मूल्यांकन समिति की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) जिस पुस्तक को इस योजना के अन्तर्गत एक बार पुरस्कार मिल चुका है वह पुस्तक दोबारा किसी अन्य अवधि में इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(6) पुरस्कार समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(7) यदि पुरस्कृत पुस्तक एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई हों तो पुरस्कार की राशि सभी को बराबर बांट दी जाएगी ।

11. योजना की प्रबन्ध व्यवस्था :

योजना की संचालन व्यवस्था आयकर निदेशक (गवेषणा व प्रकाशन), छठा तल, मयूर भवन, नई दिल्ली द्वारा की जायेगी । इस संबंध में सभी पत्राचार उन्हीं के माध्यम से किए जायेंगे ।

12. मूल्यांकन कर्त्ताओं तथा योजना का संचालन करने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय :

(1) प्रत्येक मूल्यांकन कर्त्ता को प्रति पुस्तक 500/- रु० का मानदेय दिया जाएगा । परन्तु मानदेय की अधिकतम सीमा 2000/- रु० से अधिक नहीं होगी ।

(2) योजना से सम्बन्धित कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को भी समुचित मानदेय दिया जायेगा जिसका निर्णय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

(3) यदि मूल्यांकन समिति के सदस्यों को पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अन्तिम मूल्यांकन के लिए दिल्ली के बाहर से बुलाया जाता है तो उन्हें नियमानुसार बैठक की अवधि के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता स्वीकृत किया जायेगा ।

13. योजना के लिए निधि :

योजना पर होने वाला व्यय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा ।

हरबन्स सिंह, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1989

सं० एफ० 10-27/88-यू० 5—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 10-27/88-यू० 5 दिनांक 13 अप्रैल, 1989 में क्रम सं० 5 पर मनोनीत सामाजिक वैज्ञानिक का सही नाम और पता निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

प्रो० जय वल्लभ प्रसाद सिन्हा,
ए० एन० एस० सामाजिक अध्ययन संस्थान,
पटना-800001

एस० के० सेनगुप्ता, अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

(P. U. BRANCH)

New Delhi-110 001, the 18th July 1989

No. 4/1-PU/89.—Shri Balwant Singh Ramoowalia has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with immediate effect.

R. D. SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 17th July 1989

No. F. No. E-11017/18/89-Ad.IX.—At the meeting of the Direct Taxes Official Language Implementation Committee held on 14th January, 1988 under the Chairmanship of the member (Staff & Training), it was decided that a scheme for granting awards for encouraging writing of original books on direct taxes subjects in Hindi should be introduced under the auspices of Central Board of Direct Taxes and the scheme should be called DIRECT TAXES LITERATURE AWARDS SCHEME (Pratyaksh kar Sahitya Puraskar Yojana).

2. *Object of the scheme*

The object of the scheme is to encourage writing of standard original Hindi books on direct taxes subjects.

3. *Eligibility*

The scheme is open to all citizens of India whether engaged in government or private service or in any other profession.

4. *Subjects*

Under the scheme every year awards will be given for writing original books in Hindi on the following subjects :—

(a) Income-tax

(b) Wealth-tax

(c) Gift-tax

(d) Company Profit Sur-tax

5. *Awards*

The awards to be given under the scheme are as follows :—

First prize—2	Rs. 10,000/- each.
Second prize—2	Rs. 7,500/- each.
Third prize—2	Rs. 5,000/- each.

The department will purchase 2,000 copies of the books selected for award on their publication which will be meant for use of officers of the department and the departmental libraries.

6. *Introduction and period of the scheme*

The scheme will be introduced from the financial year 1988-89 for which prizes will be given in the year 1989-90. The information for inviting entries under the scheme and the entailing conditions will be notified lateron. A financial

year will be treated as the year of award and the entries invited with reference to a particular financial year, will be granted prizes in the next financial year for which notification will be issued from time to time.

7. *Donor of the prizes*

These prizes will be given on behalf of the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.

8. *Evaluation of Books*

(1) The books received for consideration of the awards under the scheme will be evaluated by an expert committee which will be constituted by the Central Board of Direct Taxes.

(2) The Evaluation Committee will assess the books received on the basis of their merit and will submit its recommendations to the Secretary of the Committee alongwith all the copies of the books/manuscripts so evaluated.

(3) The Evaluation Committee, if satisfied, in the case of books which are not recommended for any award, that sustained efforts have been made in writing the books in Hindi, recommend payment to the extent of Rs. 500/- per book as compensation for the expenditure incurred by the writer of the book on typing/publishing such books.

(4) The recommendation submitted by the Evaluation Committee will be placed before the Awards Committee comprising the following :—

(i) Chairman, C.B.D.T. .....Chairman

(ii) Member (Staff & Training), CBDT....Member

(iii) Member (Legislation), CBDT .....Member

(iv) Director General of Income-tax (Admn.) ..... Member

(v) Deputy Secretary (Ad. IX), CBDT ....Member

(vi) Director of Income-tax (RS&P).....Member-Secretary

(5) The Awards Committee will consider the suitability of the books for the purpose of granting the awards on the basis of the recommendation submitted by the Evaluation Committee.

9. *Definition of original book for the purpose of the scheme*

An original book means, a book—

(a) which has been written by a competitor/author himself originally in Hindi;

(b) which is a Hindi translation rendered by the competitor/author himself of a book written by him originally in some other language.

10. *Entries*

(i) Printed books or typed copies—both will be accepted for consideration for the award. The competitor/author will have to declare in the prescribed proforma that the book sent under the scheme is an original book as per the definition given above.

(ii) If copyright is involved, the author shall have to submit an attested true copy of the permission of the copyright holder.

(iii) The competitor will be required to send 8 printed or typed copies of the book alongwith an application in the prescribed form. The entries and the application form duly filled up will be sent to the Director of Income-tax (RS&P) (the Member-Secretary of the Direct Taxes Literature Awards Committee), 6th floor, Mayur Bhawan, Conn. Circus, New Delhi.

(iv) No competitor under the scheme will be eligible to be a member of the Evaluation Committee for the year for which he submits his book(s) for grant of award.

(v) If any book has already once been awarded under this scheme, the same will not be again eligible for award for any other period under the scheme.

(vi) The decision of the Awards Committee will be final.

(vii) If the book winning the award is written by more than one writer, the amount of the award will be shared equally by all of them.

11. *Management of the Scheme*

Arrangements for running the scheme will be made by the Director of Income-tax (RS&P), 6th floor, Mayur Bhawan, Conn. Circus, New Delhi. All correspondence about the scheme will be handled by him.

12. *Honorarium for evaluators and the officials running the scheme*

(i) Each evaluator will be granted an honorarium of Rs. 500/- per book subject to a maximum of Rs. 2000/- only.

(ii) The officials of the department looking after the work of the scheme will also be granted suitable honorarium which will be decided by the C.B.D.T.

(iii) If the members of the Evaluation Committee are invited from outside Delhi for final evaluation of the entries received for award, they will be granted T.A./D.A. for the duration of the meeting as per the rules.

13. *Funds for the scheme*

The expenditure incurred on the scheme will be met out of the budget grant of the Central Board of Direct Taxes.

HARBANS SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 25th July 1989

No. F. 10-27/88 U.5.—In this Ministry's Notification No. F. 10-27/88-U.5 dated 13th April, 1989 the correct name and address of the Social Scientist nominated at Sl. No. 5 may please be read as under :—

Prof. Jai Ballabha Prasad Sinha,
A.N.S. Institute of Social Studies,
Patna-800 001.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989